

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराज0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 25 अप्रैल, 2022

-:आदेश:-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2016 में दिये गये प्राविधानानुसार वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित आशुलिपिकों (वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2800, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-5) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 (वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-6) के पद पर पदोन्नत करते हुए उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान/कार्यालय में तैनात किया जाता है:-

क्रमांक	ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती का जोन/सम्भाग	चयन वर्ष
01	02	03	04	05	06
1	550A	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	स्व0 राधेश्याम लाल श्रीवास्तव	वाराणसी	2019-20
2	557	श्री चेतन जोशी	दयानन्द जोशी	मेरठ	2021-22

2. उपरोक्त क्रमांक-1 (ज्येष्ठता क्रमांक 550A) पर अंकित कर्मचारी से कनिष्ठ कर्मचारी को वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर चयन वर्ष 2019-20 हेतु आदेश संख्या-664 दिनांक 30-06-2020 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गयी है, अतः उक्त क्रमांक-1 पर अंकित कर्मचारी को भी चयन वर्ष 2019-20 हेतु दिनांक 30-06-2020 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की जायेगी है। "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर उक्त नोशनल पदोन्नति के लिए कोई एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।

3. सम्बन्धित जोनल/सम्भागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति के पद पर प्रत्येक दशा में दिनांक 02-05-2022 तक कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त पदोन्नत किये गये कर्मचारियों में से यदि किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कोई कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो तो इस सम्बन्ध में वह अपना लिखित अनुरोध पत्र सम्भागीय अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 09-05-2022 तक मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

5. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/जोनल अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों में से यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो अथवा प्रस्तावित हो, सतर्कता जांच आदि चल रही हो अथवा सत्यनिष्ठा सदिग्ध की गयी हो व कोई दण्डादेश निर्गत किया गया है तो ऐसे कर्मचारी पर यह पदोन्नति आदेश लागू नहीं होगा और सम्बन्धित कर्मचारी पर यह पदोन्नति आदेश क्रियान्वित न कराया जाय अपितु इसकी सूचना अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्यालय को तुरन्त उपलब्ध करायी जाय।

6. वर्तमान समय में यदि कोई कर्मचारी उसके नाम के सामुख स्तम्भ-05 में दर्शित कार्यालय/स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय/स्थान पर कार्यरत हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित माना जाए। सम्बन्धित जोनल/सम्भागीय अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारियों को उक्त पदोन्नति आदेश की प्रति तुरन्त तामील कराना सुनिश्चित करें।

E01-

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

प्रभार-एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,


उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रथम) वाणिज्य कर, मुख्यालय को कमिश्नर महोदया के अवलोकनार्थ।

2. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी/ मेरठ-जोन, मेरठ ।
3. सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, वाराणसी-संभाग-ए, वाराणसी/मेरठ ।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को आदेश की एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु ।
5. सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी/मेरठ ।
6. डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, वाराणसी/ मेरठ ।
7. सम्बन्धित कर्मचारियों को नाम से ।
8. स्था-6 सामान्य पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।
9. वरित्र पंजिका सेल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।


(पी0एन0 वेबि)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0 अराज0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।